www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 25.05.2017

सीबीआई ने इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईपत्तन् स्थित सीमा शुल्क के गोदाम से सोने की चोरी से सम्बन्धित मामले की जारी जाँच में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने सीमा शुल्क के गोदाम से सोने की चोरी से सम्बन्धित मामले की जारी जाँच में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कुण्डली मण्डल, सोनीपत कमिश्नरेट (हरियाणा) (पूर्व में इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईपत्तन्, नई दिल्ली स्थित सीमा शुल्क के मूल्यवान वस्तुओं के गोदाम में अभिरक्षक (Custodian) के तौर पर कार्यरत) को गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 एवं 120-बी के तहत दिनांक 17.03.2017 को दिल्ली पुलिस से प्राथमिक सूचना रिर्पोट (एफ.आई.आर.) के स्थानान्तरण पर मामला दर्ज किया। वर्तमान मामला इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईपत्तन् स्थित मूल्यवान वस्तुओं के गोदाम से सोने की चोरी के आरोप से सम्बन्धित है। ऐसा आगे आरोप था कि सीमा शुल्क के गोदाम से लगभग 100 किग्रा का सोना चोरी हो गया एवं गैर मूल्यावान धातु से बदल दिया गया। उक्त आरोपी, वर्ष 2002-03 एवं 2004 के दौरान सीमा शुल्क के मूल्यवान वस्तुओं के गोदाम में अभिरक्षक (Custodian) के तौर पर पदस्थ था। दिल्ली स्थित उनके आवासी परिसरों में तलाशी की गयी।

गिरफ्तार आरोपी को नई दिल्ली की नामित अदालत के समक्ष पेश किया गया एवं वर्तमान में वह दिनांक 28.05.2017 तक के लिए पुलिस हिरासत में है।

****